



संपदा विभाग  
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

आरआरडीए भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखंड में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के सम्मेलन कक्ष में  
दीवार पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना

के लिये निविदा

निविदाकर्ता का नाम .....

पता .....

.....

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज	: 20 फरवरी 2024, 14:00 बजे से
प्रस्तुत करने की तिथि तथा समय (भौतिक स्वरूप)	: 04 मार्च 2024, 14:00 बजे तक
निविदा खोलना	: 04 मार्च 2024, 15:30 बजे

संपदा विभाग

पहली मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखंड, भारत

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) की संपत्ति है। सिवाय भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रतिक्रिया देने के उक्त प्रयोजन के और भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित अनुमति के बिना, इसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी भी माध्यम से प्रतिलिपित, वितरित या अभिलिखित नहीं किया जा सकता। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी भी उद्देश्य हेतु, अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी दृढ़तापूर्वक वर्जित है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा एवं भारतीय विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा।



**संपदा विभाग**  
**भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची**

**आरआरडीए भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखंड में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के सम्मेलन कक्ष में दीवार पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना**

**मात्राओं की अनुसूची**

क्रम	विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1	स्वीकृत ब्रांड की 12 मिमी मोटाई वाली BWR प्लाईवुड की आपूर्ति, भरण एवं स्थापना ग्लास पैनल क्षेत्र पर स्वीकृत गुणवत्ता वाले आसंजक तथा आवश्यक आकार की लकड़ी की पट्टी के साथ परिधि में की जाएगी। दर में आवश्यकतानुसार इस्पात स्कू की आपूर्ति एवं स्थापना, मचान, मलबा हटाना, स्थल की सफाई आदि सभी कार्य बैंक के प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण करना शामिल होगा।	12 वर्गमीटर		वर्गमीटर	
2	स्वीकृत ब्रांड एवं डिज़ाइन/टेक्सचर वाली 1 मिमी मोटाई वाली लैमिनेट से निर्मित दीवार पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना, स्वीकृत गुणवत्ता वाले आसंजक के साथ या स्वीकृत डिज़ाइन के अनुसार, स्वीकृत ब्रांड एवं गुणवत्ता की 6 मिमी मोटाई वाली BWP प्लाई पर मौजूदा लकड़ी के पार्टिशन पर की जाएगी। दर में आवश्यकतानुसार इस्पात स्कू की आपूर्ति एवं स्थापना, मचान, मलबा हटाना, स्थल की सफाई आदि सभी कार्य बैंक के प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण करना शामिल होगा। <b>(आधार दर: लैमिनेट— जीएसटी सहित प्रति पीस ₹1800/-)</b>	44 वर्गमीटर		वर्गमीटर	
3	स्वीकृत ब्रांड एवं डिज़ाइन/टेक्सचर की 1 मिमी मोटाई वाली लैमिनेट से निर्मित दीवार पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना, स्वीकृत गुणवत्ता वाले आसंजक के साथ, स्वीकृत ब्रांड की 12 मिमी मोटाई वाली BWP प्लाई पर एल्यूमीनियम फ्रेमवर्क पर की जाएगी। दर में 40 मिमी x 25 मिमी x 1.5 मिमी सेक्शन वाले एल्यूमीनियम को फ्रेमवर्क के रूप में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप से 600 मिमी c/c (दोनों दिशाओं में) की दूरी पर इस्पात स्कू के साथ आपूर्ति एवं स्थापना, आवश्यकतानुसार इस्पात स्कू की आपूर्ति एवं स्थापना, मौजूदा पैनल एवं स्टोरेज (विंडो के नीचे) को हटाना, मचान, मलबा हटाना, स्थल की सफाई आदि सभी	40 वर्गमीटर		वर्गमीटर	

	कार्य बैंक के प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण करना शामिल होगा।				
4	मौजूदा विंडोज़ को स्वीकृत ब्रांड की 6 मिमी मोटाई वाले ACP (एल्यूमीनियम कम्पोजिट पैनल) से, आवश्यक फ्रेमिंग (स्तरन हेतु) के साथ, आवश्यकतानुसार इस्पात स्कू के साथ आपूर्ति, स्थापना एवं बंद करना, मलबा हटाना, स्थल की सफाई आदि सभी कार्य बैंक के प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण करना शामिल होगा।	एक		प्रत्येक	
5	स्वीकृत ब्रांड एवं शेड वाली 1 मिमी मोटाई वाली लैमिनेट की आपूर्ति एवं स्थापना मौजूदा दरवाज़े के शटर के दोनों ओर स्वीकृत गुणवत्ता वाले आसंजक के साथ की जाएगी। दर में नई लैमिनेट स्थापित करने से पूर्व मौजूदा लैमिनेट को शटर से हटाना, शटर को खोलना एवं मौजूदा हार्डवेयर फिटिंग के साथ पुनः स्थापित करना, ग्लास पैनल (6" x 48") काटना एवं बनाना, उक्त क्षेत्र में 6 मिमी मोटाई वाले ग्लास की आपूर्ति एवं स्थापना, फ्रेम एवं शटर पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत गुणवत्ता एवं शेड वाली पॉलिश की आपूर्ति एवं लगाना, गोदरेज ब्रांड के मोर्टिस लॉक एवं स्वीकृत गुणवत्ता/डिज़ाइन वाले हैंडरेल की आपूर्ति एवं स्थापना, मलबा हटाना, स्थल की सफाई आदि सभी कार्य बैंक के प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार पूर्ण करना शामिल होगा।				
6	<b>छूट प्राप्त मद :</b> मौजूदा एल्यूमीनियम स्लाइडिंग विंडोज़ (पाँच की संख्या) को उनके स्थान से हटाना एवं उन्हें ले जाने के लिए छूट प्रदान करना।	एक कार्य		एल. एस.	(-)
	कुल राशि				
	जोड़ : CGST@9%				
	जोड़ : SGST@9%				
	कुल राशि (GST सहित)				

₹.....मात्र)

ठेकेदार का नाम और पता :

ठेकेदार का मुहर सहित हस्ताक्षर :

तिथि :

स्थान :

## नियम और शर्तें :-

यह खंड अनुबंध का अंग हैं तथा इन पत्रकों को दिनांक सहित हस्ताक्षरित कर अवश्य ही वापस किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

1. प्रस्ताव अनुबंधित वस्तुओं के अनुसूची में दिए गए रिक्त स्थानों में दिनांक सहित हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दरें अंकों तथा शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए। इस शर्त का उल्लंघन प्रस्ताव के अस्वीकृति का कारण बन सकता है।
2. प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर "प्रस्ताव" शब्द तथा अनुसूची में दिए गए कार्य का नाम अंकित किया जाना चाहिए।
3. प्रस्ताव खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि तक वैध रहेगा। दरें कार्य की पूर्णता तक स्थिर रहेंगी तथा किसी भी आधार पर मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. दरों में सभी प्रासंगिक कर, परिवहन शुल्क आदि तथा कार्य की पूर्णता हेतु आवश्यक सभी सामग्री शामिल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. बैंक स्वयं को न्यूनतम या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता।
6. ठेकेदारों को स्थल का निरीक्षण करना चाहिए तथा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य की परिस्थितियों, कार्य के निष्पादन की अनुमत अवधि से पूर्णतः अवगत होना चाहिए।
7. ठेकेदारों को साल लकड़ी, प्लाई तथा कार्य संपादन हेतु आवश्यक अन्य सभी सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए।
8. कार्य निष्पादन के दौरान बैंक की संपत्ति को हुई किसी भी क्षति की मरम्मत ठेकेदारों द्वारा बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार की जानी चाहिए, अन्यथा बैंक ऐसी मरम्मत ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत पर करवा सकता है।
9. कार्य बैंक की संलग्न विशिष्टताओं तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार संपादित किया जाएगा, जैसा कि प्रस्ताव दस्तावेजों में उल्लिखित है। बैंक के संपदा विभाग द्वारा कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक चरण पर इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
10. कार्य सामान्यतः सामान्य कार्य घंटों के दौरान संपादित किया जाएगा। हालांकि, यदि कार्यालय समय के पश्चात कार्य करना आवश्यक हो, तो कार्य घंटों/अवकाश तथा रविवार को अधिवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा पहुँचाए बिना कार्य करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

## 11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- a. ठेकेदार " महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा। बैंक परिसर के अंदर उसके कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज किया जाएगा तथा ठेकेदार/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- b. ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत को नियोक्ता द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।
- c. ठेकेदार किसी भी आर्थिक मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा, जो ठेकेदार के कर्मचारियों/श्रमिकों की भागीदारी वाली घटना में देय हो सकता है, उदाहरणार्थ नियोक्ता के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी/श्रमिक द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है।
- d. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण एवं संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- e. ठेकेदार अपने उन सभी कर्मचारियों की एक पूर्ण एवं अद्यतन सूची प्रदान करेगा, जो नियोक्ता के परिसर में तैनात हैं।

12) **कार्य पूर्णता अवधि:** कार्य आदेश जारी होने की तिथि के चौथे दिन से 20 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। सिवाय उन परिस्थितियों के, जिन्हें बैंक के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार के नियंत्रण से परे माना जाता है, समयावधि में विस्तार की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा समाप्ति तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित आवेदन प्राप्त हो।

13) **ईएमडी (बयाना जमाराशि) :** सफल ठेकेदार को निर्धारित कार्य के मूल्य का 2% ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा, जिसपर कोई ब्याज प्रतिदेय नहीं होगा। [एनईएफटी विवरण: लाभार्थी नाम - "भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची"; आईएफएससी कोड: भारतीय रिज़र्व बैंक SORNPA01 (बाएँ से 5वें और 10वें स्थान पर 'शून्य'); खाता संख्या: 186003001] कार्य शुरू करने से पहले लेनदेन संख्या के साथ भुगतान का प्रमाण (स्कैन कॉपी) [estateranchi@rbi.org.in](mailto:estateranchi@rbi.org.in) पर भेजा जाना चाहिए।

- 14) **परिसमापन हर्जाना** : यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि या विस्तारित समय के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो ठेकेदार को प्रति सप्ताह ₹1200/- रुपये की दर से हर्जाने के रूप में भुगतान करना होगा या नियोक्ता को यह राशि वसूलने की अनुमति देनी होगी। यह राशि सहमत मूल्य के 10% तक सीमित होगी। नियोक्ता इस हानि को ठेकेदार के किसी भी देय धनराशि से काट सकता है।
- 15) **प्रतिधारण राशि** :
- a. बैंक कार्य पूर्ण होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए कुल राशि का 5% प्रतिधारित करेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी दोष को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क ठीक किया जाएगा, अन्यथा सुधार की लागत प्रतिधारण राशि से काट ली जाएगी।
  - b. आयकर और वाणिज्यिक कर लागू दरों के अनुसार काटे जाएंगे।
- 16) **भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)** के निर्दिष्ट मानकों का यथास्थिति पालन किया जाना चाहिए।
- 17) **भुगतान की शर्तें**: कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर भुगतान किया जाएगा, जो साइट पर मापे गए वास्तविक कार्य या कार्य के निष्पादन के दौरान खाता आधार पर हो सकता है, जिसका निर्धारण बैंक द्वारा किया जाएगा। बैंक ठेकेदार को टिकाउ सामग्री की लागत का 75% भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों और यह राशि सामग्री की संयुक्त लागत के 45% से अधिक न हो।
- 18) किसी भी विवाद की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- 19) किसी भी निर्देश का पालन न करने पर उद्धरण अस्वीकार किया जा सकता है।
- 20) **बीमा**: सफल ठेकेदार को बैंक के मानक बीमा खंडों के अनुसार निम्नलिखित बीमा प्राप्त करना होगा, जिसमें बैंक का नाम पॉलिसी में प्रथम होना चाहिए।

### **क. श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा**

- 21) ठेकेदार को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।
- 22) **नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन**: साइट पर एक प्रदर्शन बोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिस पर मजदूरी दरें, कार्य के घंटे, मजदूरी अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियाँ, निरीक्षकों के नाम और पते, और बकाया मजदूरी की भुगतान तिथि (अंग्रेजी और हिंदी में) लिखे होने चाहिए, जैसा कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के नियमों के पैरा 81(1) के तहत प्रावधान है।

- 23) ठेकेदार को बैंक को एक दिन में कार्य पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या सूचित करनी होगी। किसी भी बाद की वृद्धि की सूचना बैंक को तुरंत देनी होगी। यदि कार्य पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या बीस या अधिक है, तो ठेकेदार को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- 24) ठेकेदार को सभी श्रमिकों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी + वीडिए का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
- 25) ठेकेदार को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित सभी रजिस्टर बनाए रखने होंगे और बैंक या उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने होंगे।
- 26) यदि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो बैंक बिना किसी कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त कर सकता है। यदि कार्य के निष्पादन के दौरान कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है और कार्य पूर्ण करने की अवधि के अनुरूप नहीं है, तो बैंक ठेकेदार को अंतिम नोटिस देकर कार्य आदेश को समाप्त कर सकता है।
- 27) कार्य स्थल को साफ किया जाना चाहिए, और बैंक के निर्देशानुसार मलबे को परिसर से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा बैंक ठेकेदार के जोखिम और लागत पर मलबे/अतिरिक्त सामग्री को हटा सकता है।

**28) सामग्रियों की अनुमोदित मेक की सूची**

क्रम	मद	मेक
1.	आसंजक	फेविकोल मेरीन अथवा अनुमोदित समकक्ष
2.	प्लाइ	सिल्वन प्लाइ, सेंचुरी प्लाइ, ग्रीन प्लाई अथवा अनुमोदित समकक्ष
3.	अल्युमीनियम सेक्सन	हिंडालको, नेलको, बालको, जिंदल अथवा अनुमोदित समकक्ष
4.	एसीपी	अल्यूडेकोर, अल्यूटेक, ई3 पैनल अथवा अनुमोदित समकक्ष
5.	ताले	गोदरेज अथवा अनुमोदित समकक्ष

**ठेकेदार/ फर्म का नाम और पता**

**तिथि**

**स्थान**